ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया|

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती चैन्चला देवी	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री कुलदीप कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सपौरी के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण आये अन्तर	7.03

		बारे	
2)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	34.20
3)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.59
4)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	2.26
5)	8.2	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.66
6)	8.3	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	0.31
7)	9	व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	2.82

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 03/2018

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**		
1.	पैरा-5	अनिर्णीत	
2.	पैरा- 5.2	अनिर्णीत	
3.	पैरा- 6.2	अनिर्णीत	
4.	पैरा-7.2	अनिर्णीत।	
5.	पैरा-10	अनिर्णीत।	
6.	पैरा-13	अनिर्णीत।	
7.	पैरा-16	अनिर्णीत।	
8.	पैरा-17	अनिर्णीत।	
9.	पैरा-18	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-19	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-20	अनिर्णीत।	
12.	पैरा-21	अनिर्णीत।	

13.	पैरा-22	अनिर्णीत।	

2 गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**		
1.	पैरा-5	अनिर्णीत।	
2.	पैरा-6 (i)	अनिर्णीत।	
3.	पैरा-6 (ii)	अनिर्णीत।	
4.	पैरा-7	अनिर्णीत।	
5.	पैरा-9	अनिर्णीत	
6.	पैरा-10	अनिर्णीत	
7.	पैरा-11	अनिर्णीत	
8.	पैरा-13	अनिर्णीत।	
9.	पैरा-14	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-15	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-16	अनिर्णीत।	
12.	पैरा-17	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-18	अनिर्णीत।	
14.	पैरा-19	अनिर्णीत	

3 गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2022 से 03/2024

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**		
1.	पैरा-3	निर्णीत।	(अंकेक्षण शुल्क ₹3600/- की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या 466284 दिनांक 02.05.2024 द्वारा कर ली गई है)
2.	पैरा-4	अनिर्णीत।	
3.	पैरा-5	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 में पुनः

			प्रारूपित।
4.	पैरा-6.1	अनिर्णीत।	
5.	पैरा-6.2	अनिर्णीत।	
6.	पैरा-6.3	अनिर्णीत।	
7.	पैरा-7.1 (क)	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.1 में पुनः प्रारूपित।
8.	पैरा-7.1 (ख)	अनिर्णीत।	
9.	पैरा-7.2	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-7.3	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-8.1	अनिर्णीत।	
12.	पैरा-8.2	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-8.3	अनिर्णीत।	
14.	पैरा-9.1	अनिर्णीत।	
15.	पैरा-9.2	अनिर्णीत।	
16.	पैरा-9.3	अनिर्णीत।	
17.	पैरा-9.4	अनिर्णीत।	
18.	पैरा-10	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुनः प्रारूपित।
19.	पैरा-11	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुनः प्रारूपित।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 21.05.2025 से

23.05.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2024-25	12/2024	01/2025

<u>अस्वीकरण :-</u> "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। "

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹2400** आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 248/2025 दिनांक 23/05/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत सपौरी द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित नैहरियां के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 466312 दिनांक 30/05/2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4.1 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत सपौरी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 233/2025 दिनांक 21/05/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान दो रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2024-25	3314258.94	2696393	6010651.94	2591131	3419520.94

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सपौरी के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में **₹703040** का अन्तर था :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) (क) का अंतशेष	3419520.94
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**2666714.00**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित)	49766.94
4)	**योग (2+3)**	**2716480.94**
5)	**अन्तर (1-4)**	**703040.00**

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹7.03 लाख का भारी अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को **निम्न विवरणानुसार** स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) रोकड बही एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹703040** का भारी अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 238/2025 दिनांक 21/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 33 दिनांक 23/05/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि

उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

1	2	3	4	5
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाइन रोकड़ बही का अन्तशेष**	**दिनांक 31.03.2025 को बैंक व हस्तगत शेष का योग**	**अन्तर (3-4)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित)	3419520.94	2716480.94	703040

4.3 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना :

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 233/2025 दिनांक 21/05/2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 35 दिनांक 23/05/2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹34.20 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 233/2025 दिनांक 21/05/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹3419520.94** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 233/2025 दिनांक 21/05/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 35 दिनांक 23/05/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु

जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 233/2025 दिनांक 21/05/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 35 दिनांक 23/05/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.59 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 233/2025 दिनांक 21/05/2025 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 35 दिनांक 23/05/2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹59050 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2024-25	15550	43500	59050	0	59050

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹3400 सलंग्न **परिशिष्ट ग** अनुसार वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	3400

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 241/2025 दिनांक 22/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 33 दिनांक 23/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 ₹0.03 लाख की प्राप्त आय का सम्भावित दुरूपयोग :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 दौरान **निम्न विवरणानुसार** रसीदों द्वारा गृहकर / विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹2600** की राशि प्राप्त की गई दर्शाई थी, लेकिन उक्त राशि को न तो रोकड़ बही के रोकड़ शेष में दर्शाया गया था तथा न ही बैंक में जमा करवाया गया था | फलस्वरूप उक्त **₹2600** की राशि का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 239/2025 दिनांक 22/05/2025 के

प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 33 दिनांक 23/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही में कम दर्ज राशि **₹2600** के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

क्रम संख्या	रसीद संख्या	गृहकर / विवाह शुल्क से प्राप्त राशि (₹)	रोकड़ बही में दर्ज की गई राशि (₹)	कम दर्ज की गई राशि (₹)	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या (Online)
1	49238 से 49246, 49248 से 49261	2000+3400=5400	1800+1000 =2800	2600	16, 22
			योग	**2600**	

7.4 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजिकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सलंग्न **परिशिष्ट ग** में वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से ₹200 की कम वसूली की गई थी:-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2024-25	200

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 240/2025 दिनांक 22/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 33 दिनांक 23/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके राशि को

राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

7.5 निर्धारित सीमा से अधिक राशि को हस्तगत रखना :-

पंचायत की रोकड़ बही की जाँच दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार** निर्धारित सीमा **₹1000** से अधिक राशि को हस्तगत रखा गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल **₹1000** तक की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है | ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई तथा निर्धारित दर से अधिक राशि नगद रखी गई | अत: उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 249/2025 दिनांक 23/05/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर सचिव द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः भविष्य में उपरोक्त नियम अनुसार ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्रम संख्या	**मास**	**हस्तगत राशि (₹)**
1.	04/2024 से 11/2024	46966.94
2.	12/2025 से 02/2025	48766.94
3.	03/2025	49766.94

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.26 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा चयनित माह 01/25 में **निम्न विवरणानुसार** कुल **₹226322** की सामग्री में से **₹124370** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था तथा शेष **₹101962** (226322-124370) की सामग्री का क्रय मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार (Wide

publicity) अर्थात् कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाना अपेक्षित था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 243/2025 दिनांक 22/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 33 दिनांक 23/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	टिप्पणी
1	15वां वित्तायोग	P/7	5156 28.01.2025	Garg Hardware Store Nehrian	Sanitary Material	31430	
2	15वां वित्तायोग	P/8	4055, 4060 23.01.2025, 24.01.25	M/s Ojas Blocks & Flyash Bricks Baruhi	Paver / bloks	50976	मात्र तीन नंबर निविदाये आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार द्वारा किया जाना अपेक्षित था	
3	15वां वित्तायोग	P/9	4061, 4064 25.01.2025, 26.01.25	M/s Ojas Blocks & Flyash Bricks Baruhi	Paver / bloks	50976	यथोपरि
4	15वां वित्तायोग	P/10	5536 25.01.25	M/s Nanika Stone Crusher	Sand, Agg. etc	18400	

				Kadh			
5	15वां वित्तायोग	P/11	001 23.01.2025	Monu Aluminium works Nehri	Door, Ventilators	27241	
6	15वां वित्तायोग	P/12	5535 23.01.25	M/s Nanika Stone Crusher Kadh	Sand, Agg. etc	26299	
7	15वां वित्तायोग	P/13	5537 24.01.25	M/s Nanika Stone Crusher Kadh	Sand, Agg. etc	21000	
					योग	**226322**	

8.2 ₹0.66 लाख की खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्लयू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 01/2025 में **निम्न विवरणानुसार ₹65699** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244/2025 दिनांक 22/05/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 33 दिनांक 23/05/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया

गया कि उक्त पत्र में वर्णित ट्रांजिट पास फार्म जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित फार्म शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाए।

क्रम संख्या	मद का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	राशि (₹)
1	15th fc	निर्माण सामुदायिक शौचालय गूगा मन्दिर गंगोटी	5536 25.01.25	M/s Nanika Stone Crusher Kadh	Sand, Agg. etc	18400
2	15th fc	निर्माण रास्ता आवादी सतपाल के घर से जोगिन्दर के घर तक	5535 23.01.25	M/s Nanika Stone Crusher Kadh	Sand, Agg. etc	26299
3	15th fc	निर्माण रास्ता मुघाल से नौहण	5537 24.01.25	M/s Nanika Stone Crusher Kadh	Sand, Agg. etc	21000
					योग	**65699**

8.3 ₹0.31 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के चयनित माह 01/2025 में **निम्न विवरणानुसार ₹31430** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 246/2025 दिनांक 22/05/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 33 दिनांक 23/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण

क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	15वां वित्तायोग	P/7 01/25	5156 28.01.25	Garg hardware store Nehrian	Sanitary material	31430

8.4 15वें वित्तायोग शीर्ष से ₹296 का अधिक / अनियमित भुगतान करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 दौरान माह 11/2024 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतू क्रय किए गए सामान के बिलों की जाँच दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार ₹296** का अधिक भुगतान HP Civil Supply Amb को किया गया था | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 247/2025 दिनांक 22/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 33 दिनांक 23/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान की गई राशि **₹296** के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

क्रम संख्या	बिल संख्या	दिनांक	भुगतान योग्य राशि (₹)	भुगतान की गई राशि (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
1	001402	16.01.2025	22215	22363	148
2	001401	16.01.2025	22215	22363	148
				योग	**296**

9.1 ₹2.81 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह

01/2025 में **निम्न विवरणानुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹281762** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 242/2025 दिनांक 22/05/2025 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 33 दिनांक 23/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएंगी। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**माह**	**कार्य का नाम**	**बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक**	**सामग्री**	**राशि**	**टिप्पणी**
1	15वां वित्तायोग	01/25	निर्माण सामुदायिक शौचालय गूगा मन्दिर गंगोटी	5156 dtd. 28.01.2025, 5536 dtd. 25.01.25, 001 dtd. 23.01.25	Sanitary material, Sand, Agg. Etc, Door, Ventilators,	77071	
2	15वां वित्तायोग	01/25	निर्माण रास्ता मुघाल से नौहण	4055 dtd. 23.01.25, 4060 dtd. 24.01.25, 5537 dtd. 24.01.25	Paver/ blocks, Sand, Agg. Etc,	71976	
3	15वां वित्तायोग	01/25	निर्माण रास्ता आवादी सतपाल के घर से जोगिन्दर के घर तक	4061 dtd. 25.01.25, 4064 dtd. 26.01.25, 5535 dtd. 23.01.25	Paver/ blocks, Sand, Agg. Etc,	77275	
4	मनरेगा	01/25	C/o PMAY-G House Tripta Devi	4847	Labour	4320	MB No. 12189 Page No 04
5	मनरेगा	01/25	C/o PMAY-G House Mumtaj Begam	4546, 4848	Labour	12000	MB No. 20675 Page No 96, MB No. 12189 Page No 03
6	मनरेगा	01/25	C/o PMAY-G House Shaken bibi	4547	Labour	3600	MB No. 20675 Page No 95

7	मनरेगा	01/25	C/o PMAY-G House Arush Khan	4849	Labour	14400	MB No. 12189 Page No 04
8	मनरेगा	01/25	C/o PMAY-G House Kamlesh Kumari	4850	Labour	7200	MB No. 12189 Page No 03
9	मनरेगा	01/25	C/o PMAY-G House Kamlesh Kumari	4548, 4851	Labour	13920	MB No. 20675 Page No 95, MB No. 12189 Page No 03
					योग	**281762**	

9.2 ₹0.27 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित बिल / वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 01/2025 में 15वें वित्तायोग शीर्ष से वाउचर संख्या XVFC/2024-25/P/6 दिनांक 26/01/2025 द्वारा **निम्न विवरणानुसार ₹26811** का भुगतान सीमेंट के क्रय हेतु HP Civil Supply Amb को किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित व्यय के समर्थन से सम्बन्धित बिल / वाउचर अंकेक्षण अधियाचना संख्या 245/2025 दिनांक 22/05/2025 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 33 दिनांक 23/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त व्यय से सम्बन्धित बिल / वाउचर सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**कार्य का नाम**	**बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक**	**सामग्री**	**राशि**
1	15वां वित्तायोग	रोकड़ बही में कार्य से सम्बन्धित विवरण नहीं दिया गया है		रोकड़ बही में बिल से सम्बन्धित विवरण नहीं दिया गया है		cement	26811

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 234/2025 दिनांक 21/05/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 34 दिनांक 23/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 233/2025 दिनांक 21/05/2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 35 दिनांक 23/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन

किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

16.7.25
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

16 JUL 2025

4413- 4417 का0/प्रति0

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)46/2019—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

16 JUL 2025

16.7.25
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

का0/प्रति0

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष**	**आय ब्याज सहित**	**कुल योग(3+4)**	**व्यय**	**अंतिम शेष(5-6)**
1	2024-25	3314258.94	2696393	6010651.94	2591131	3419520.94

नोट:- ग्राम पंचायत सपौरी के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.03.2024 को स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) Offline, मनरेगा Online व 15वें वित्तायोग Online शीर्ष की रोकड़ बहियों अनुसार अन्तशेष रूपये 2702001.47 था, परंतु दिनांक 01.04.2024 को उक्त निधियों की ऑनलाइन रोकड़ बहियों में प्रारम्भिक शेष रूपये 2702001.47 के स्थान पर रूपये 3314258.94 लिया गया अर्थात् रूपये 612257.47 अधिक लिया गया |

Secretary
Gram Panchayat Sapouri
Dev. Block Amb
Tehsil Amb Distt. Una (H.P.)

ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3314258.94	1372630	4686888.94	1267368	3419520.94

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1650984.94	549843	2200827.94	904248	1296579.94

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1663274	822787	2486061	363120	2122941

Secretary
Gram Panchayat Sapouri
Dev. Block Amb
Tehsil Amb Distt. Una (H.P.)

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	1323763	1323763	1323763	0

Secretary
Gram Panchayat Saspouri
Dev. Block Amb

— 23 —

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1)(क) का अंतशेष	3419520.94
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	**2666714**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	49766.94
4)	**योग (2+3)**	**2716480.94**
5)	**अन्तर (1-4)**	**703040.00**

Secretary
Gram Panchayat Sapouri
Dev. Block Arnk

परिशिष्ट 'क-1'

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	KCCB Nehri	20009003355	543773.00
	HP Gramin Bank Nehri (15th fc)	88691100000080	2122941.00
		योग	**2666714**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित)**	49766.94
		योग (1+2)	**2716480.94**

Secretary
Gram Panchayat Sapouri
Dev. Block Amb
Tehsil Amb Distt. Una (H.P)

परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	15550	43500	59050	0	59050

Secretary
Gram Panchayat Sapouri
Dev. Block Amb
Tehsil Amb Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट "अ" पैरा संख्या 7.2 व 7.4 के सन्दर्भ में।

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि का विवरण

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1	Surinder Kumar	09.07.2024	30.07.2024	49243	200	200	0
2	Vinod Kumar	21.07.2024	13.08.2024	29245	200	200	0
3	Shubham SIngh	12.03.2018	02.09.2024	29246	400	400	0
4	Ankush Thakur	08.11.2024	26.11.2024	29248	200	200	0
5	Mandeep singh	08.11.2024	27.11.2024	29249	200	200	0
6	Amir Khan	18.11.2024	28.11.2024	29250	200	200	0
7	Abdul Hanish	10.11.2024	29.11.2024	29251	200	200	0
8	Ashik Mohd.	26.10.2024	29.11.2024	29252	400	200	200
9	Ashish Jaswal	22.11.2024	12.12.2024	29255	200	200	0
10	Ishan Mohd	05.12.2024	23.12.2024	29256	200	200	0
11	Amir Khan	27.11.2024	24.12.2024	29257	200	200	0
12	Shubham Kumar	21.01.2025	05.02.2025	29258	200	200	0
13	Mohd. Arif	15.02.2025	27.02.2025	29259	200	200	0
14	Rajesh thakur	20.02.2025	22.03.2025	29260	400	400	0
15	Abhishek Sharma	05.03.2025	25.03.2025	29261	200	200	0
				योग	**3600**	**3400**	**200**

Secretary
Gram Panchayat Sapouri
Dev. Block Amb
Tehsil Amb Distt. Una (H.P.)